न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या – 01/2021

प्रविष्टि दिनांक – 07.01.2021

उनवान

राजाराम जाट पुत्र रतनलाल जाट जाति जाट निवासी ग्राम सांखना तहसील टोंक जिला टोंक –आवेदक

बनाम

–प्रतिवादी

तहसीलदार टोंक

उपस्थित– श्री विकास चौपडा – वकील आवेदक
श्री अर्जुन लाल मीना – पेरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 31/3/2021

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार आराजीयात खसरा नम्बर 638 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 639 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सांखना पटवार क्षेत्र सांखना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांखना तहसील टोंक जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का घरेलू नाम राजू पुत्र रतनलाल अंकित है, जो राजस्व रिकार्ड में अंकित होकर चला आ रहा है। प्रार्थी को राजू व राजाराम दोनो ही नामों से जाना जाता है और ये दोनो नाम प्रार्थी के ही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम सांखना में स्थित उक्त वर्णित कृषि आराजीयात खसर नम्बर 638 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 639 रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम सांखना पटवार क्षेत्र सांखना भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांखना तहसील टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का दर्ज घरेलू नाम राजू के स्थान पर राजाराम पुत्र रतनलाल जाट दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दस्तावेज के रूप म अधिवक्ता आवेदक ने नकल जमाबंदी खाता संख्या 224, 225, 226 सम्वत 2070–73, राशन कार्ड बैंक डायरी आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण तहसीलदार टोंक से जवाब तलब किया गया। पेरोकार सरकार ने जवाब में कहा कि वादपत्र में वादी द्वारा वादपत्र में अंकित खसरा नम्बरों में वादी का नाम राजू अंकित है, जो राजस्व रिकार्ड में विरासत के नामान्तरकरण से अंकित हुआ है, जो सही है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम राजू पुत्र रतनलाल के स्थान पर राजाराम पुत्र रतनलाल करवाने हेतु साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता आवेदक व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत 2070–73 ग्राम सांखना, मे आवेदक का नाम राजू अंकित है जिसका आवेदक रिकार्डेड सहखातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध राशनकार्ड, बैंक पासबुक मे आवेदक का नाम राजाराम अंकित हैं। राजाराम के स्थान पर राजू लिखा जाना लिपिकिय त्रुटि प्रतीत होती है जो दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या नया 224, 225, 226 ग्राम सांखना तहसील टोंक जमाबन्दी सम्वत 2070–73 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम सांखना तहसील टोंक जिला टोंक के राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम **"राजू पुत्र रतनलाल"** के स्थान पर **"राजाराम पुत्र रतनलाल"** शुद्ध किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें; पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)